रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252920
CG-DL-E-13032024-252920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1187] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945
No. 1187] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सं. 72/2023

विषयः निर्यात नीति की आईटीसी एचएस अनुसूचो–2 के अध्याय–30 के तहत मानव जैविक नमूनों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 1249(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा मानव जैविक नमूनों से संबंधित अध्याय 30 के तहत निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

एचएस कोड	मद विवरण	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
30021020	एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और प्रतिरक्षाविज्ञानी उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से	अनापत्ति के अधीन मुक्त	(1) कोई भी मानव जैविक सामग्री/नमूने/उत्पाद जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और

	संशोधित या प्राप्त किए गए हों या नहीं		उसके तहत नियमों के प्रावधान के तहत शामिल की गई गतिविधियों से संबंधित हैं, सीडीएससीओ की अनापत्ति के अधीन निर्यात के लिए मुक्त हैं। (2) कोई भी मानव जैविक सामग्री/नमूने/उत्पाद जो उपरोक्त (1) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, आईसीएमआर/डीएचआर की अनापत्ति के अधीन निर्यात के लिए मुक्त हैं।
30021091	एंटीसेरा और अन्य रक्त अंश और प्रतिरक्षाविज्ञानी उत्पाद, चाहे वे जैव प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधित या प्राप्त किए गए हों या नहीं		
30021210	डिप्थीरिया के लिए		
30021220	टेटनस के लिए		
30021230	रेबीज़ के लिए		
30021240	साँप के जहर के लिए		
30021290	अन्य		
30029010	मानव रक्त		

अधिसूचना का प्रभावः निर्यात नीति की आईटीसी एचएस अनुसूची–2 के अध्याय 30 के तहत मानव जैविक नमूनों की निर्यात नीति को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अध्याय 30 के तहत मानव जैविक सामग्रियों/नमूनों/उत्पादों वाले मद का निर्यात केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) से अनापत्ति के अधीन मुक्त है।

[फा. सं. 01/91/191/48/एएम23/ईसी/ई–35188 से]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 72/2023

Subject: Amendment in export Policy of Human Biological Samples under Chapter-30 of ITC HS schedule-2 of export policy.

S.O. 1249(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby amends Export Policy under chapter 30 related to Human Biological Samples, as under:

HS Code	Item Description	Revised Export Policy	Revised Policy Condition
30021020	Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes	Free subject to NOC	(1) Any human biological materials/samples/products which are related to activities covered under the provision of Drugs & Cosmetics Act 1940 & Rules there under are free for export subject to No objection from CDSCO. (2) Any human biological materials/samples/products **NOT** covered under (1) above are free for export subject to No objection from
30021091	Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of biotechnological processes		
30021210	For diphtheria		
30021220	For tetanus		

30021230	For rabies		ICMR/DHR.
30021240	For snake venom		
30021290	Other		
30029010	Human Blood		

2. Effect of the Notification:

Export Policy of Human Biological Samples under Chapter 30 of ITC HS schedule-2 of export policy is amended to the extent that export of item that contains Human biological materials/samples/productsunder chapter 30 is free subject to the NOC from Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) or Indian Council of Medical Research (ICMR), Department of Health Research (DHR).

[F. No. 01/91/191/48/AM23/EC/e-35188]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.03.13 14:36:38 +05'30'